न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 19/19 GCMS NO 2019/00046

1. ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नादौती जिला करौली
2. सरपंच ग्राम पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 6/18 निर्णय दिनांक 15.2.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री ईश्वर सोनी
अभिभाषक रैस्पो0 1 की और से पैरोकार सरकार
रेस्पो0 2 की और से श्री देवी सिह

अपील संख्या – 13/19 GCMS NO 2019/00023

आम जनता ग्राम मुहाना ,राजाहेडा ग्राम पंचायत राजाहेडा तहसील नादौती जरिये

1. ज्ञान सिह पुत्र बिरध्या
2. सुबद्दी पुत्र घासीराम जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम मुहाना तहसील नादौती
3. दरब सिह पुत्र माधोसिह
4. समय सिह पुत्र परसादी
5. हुकम सिह पुत्र ब्रहमोहन
6. भरतराज पुत्र मूलचंद जातियान गुर्जर निवासीयान राजाहेडा तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली
2. ग्राम पंचायत राजाहेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राजाहेडा
3. विकास अधिकारी (ग्राम)राजाहेडा
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति नादौती

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 6/18 निर्णय दिनांक 15.2.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 1 की और से पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 04.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील दोनो अपीले अपीलांटान की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.2.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती पेश की है ।

दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या संख्या 1 तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण /अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत राजाहेडा द्वारा ग्राम मुहाना की जमाबंदी सम्वत 2072 से 75 के खाता संख्या 75 के खाता संख्या 210 के अनुसार ग्राम के ख0न0 164 रकबा 0.12 है0, 165 रकबा 0.14 है0, 189 रकबा 0.29 है0, 191 रकबा 0.12 है0, 192 रकबा 0.44 है0, 193 रकबा 1.94 है0, 194 रकबा0.80 है0 कुल रकबा 3.85 है0 की खातेदारी ग्राम पंचायत राजाहेडा अलाटी दर्ज है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 5.2.19 के द्वारा पाया गया कि इस भूमि मे जगह जगह पत्थर पडे हुए है। अलग अलग जगह कंकरीट,बजरी,सीमेन्ट की सडक बनाने के काम आने वाले प्लान्ट बने हुए है। इस प्रकार यह भूमि कृषि कार्य मे नही आकर गैर कृषि कार्यो मे उपयोग हो रही है। जिस पर अतिकमियो द्वारा कब्जा किया हुआ है। भूमि ग्राम पंचायत के काम नही आकर अन्य व्यक्तियो द्वारा अतिक्रमण कर भूमि को अकृषि कार्यो मे काम लाई जा रही है व भूमि का स्वरूप बिगाड पर खुर्द बुर्द किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपील संख्या 19/19 के अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। विवादाग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत राजाहेडा की कब्जे काश्त की आराजी है। अन्य व्यक्तियो का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नही है। पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान सरपंच परिजन से मिलकर झूठी गलत रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार नादौती को पेश की गई है। जिसके आधार पर तहसीलदार नादौती ने अधिनस्थ न्यायालय मे मे धारा 177 आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत होकर [illegible] गया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। भूमि पर [illegible] का कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है। मौके पर भूमि खाली है। सरपंच [illegible] उस पर कब्जा करने की फिराक मे है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व प्रार्थी [illegible] के बयान नही लिये है ना ही अपीलांट को कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान [illegible] गया है। अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

द्वारा सारी कार्यवाही जल्दबाजी व सरपंच से मिलकर की है। पटवारी हल्का राजाहेडा की उक्त भूमि से संबंधित रिपोर्ट दिनांक 5.2.19 को तहसीलदार के यहॉ पेश की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 177 आर टी एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक वर्ष पूर्व की दिनांक 6.2.18 मे दर्ज कर कानून की सरासर अवलेहना की हे। इससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही शुरू से ही इल्लीगल है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आपस्त्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अपील संख्या 19/19 मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम मुहाना की जमाबंदी सम्वत 2072 से 75 के खाता संख्या 75 के खाता संख्या 210 के अनुसार ग्राम के ख0न0 164 रकबा 0.12 है0, 165 रकबा 0.14 है0, 189 रकबा 0.29 है0, 191 रकबा 0.12 है0, 192 रकबा 0.44 है0, 193 रकबा 1.94 है0, 194 रकबा0.80 है0 कुल रकबा 3.85 है0 जो की खातेदारी ग्राम पंचायत राजाहेडा अलाटी मे दर्ज है। उस पर जगह जगह पत्थर पडे होने एवं एवं कंकरीट,बजरी,सीमेन्ट की सडक बनाने के प्लान्ट बनाने हेतु बने हुए है जिस पर पटवारी द्वारा दिनांक 5.2.19 को तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर ही तहसीलदार द्वारा धारा 177 आर टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल मे लाई गई है। भूमि पर पंचायत द्वारा आज तक कब्जा प्राप्त नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 177 आर टी एक्ट के प्रावधानो पर पूर्ण मनन व पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर विधिक विवेचना कर ही निर्णय पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/19 मे अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि आराजीयात खाता संख्या 210 मे वर्णित ख0न0 164,165,189,191,192,,193,194 कुल रकबा 3.85 है0 जमाबंदी सम्वत 2072–75 मे ग्राम पंचायत राजाहेडा के नाम दर्ज है तथा जॉच रिपोर्ट पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति नादौती पर गौर किये बिना फर्द मौका मुहाना मे हल्का पटवारी द्वारा जारी रिपोर्ट की बारीकी से विवेचना नही की है। संपूर्ण कार्यवाही रेस्पो0संख्या 1 , 2 लगायत 4 से आपसी साझकर सरपंच परिवार को फायदा पहुँचाने की गरज से प्रारंभ की है और तथ्यो को छुपाकर निर्णय पारित करवा लिया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा निष्कर्ष के कालम मे उक्त आराजीयात पर ग्राम मुहाना के प्यार सिह,हिस्मत सिह,,बनेसिह पिसरान हीरालाल एवं केदार पुत्र हिम्मत हिस का कब्जा दर्शाया है तथा रकम बाई पत्नि केदार विगत 15 वर्षो से सरपंच है। उक्त संपूर्ण परिवार ने निर्णय मे वर्णित आराजीयात जो ग्राम पंचायत की भूमि है को हटाने की गरज से तथा ट्रेस पास कर कब्जा बनाये रखने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की है। भूमि की खातेदारी संपरिवर्तन करने अधिकार जिला कलेक्टर को है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रेत्राधिकार से [illegible] निर्णय [illegible] है। आलोच्य निर्णय पक्षपतापूर्ण है जो सरपंच को लाभ पहुँचाने ग्राम पंचायत की [illegible] मि को हड़पने की गरज से रेस्पो0 संख्या 1 से साज करके कराया गया [illegible] के नागरिक होने के नाते उक्त भूमि मे इनका हित निहित [illegible] के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पाल[illegible] ग्राम पंचायत की आबादी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हो राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने से गांव की बेसकिमती भूमि पर लोग कब्जा कर लेगे जिससे ग्राम पंचायत को भारी क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/19 मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस अपील मे कथन किया कि साबिक ख0न0 204/237 रकबा 15 बीघा जरिये नामा0 संख्या 3 द्वारा ग्राम पंचायत राजाहेडा को आवंटित हुई थी। यह भूमि ग्राम पंचायत राजाहेडा को इस उद्देश्य से आवंटित की गई थी कि इस भूमि मे ग्राम पंचायत फसल,उपज नीलाम कर आय अर्जित कर विकास कार्य करावे परन्तु मुताबिक रिपोर्ट 6.2.19 ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। आज तक भी फसल नीलाम नही की गई है। उक्त भूमि से ग्राम पंचायत ने कभी राजस्व अर्जित नही किया व कभी फसल नीलाम नही की गई। जिसके मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.2.19 द्वारा मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बरान को अतिक्रमियो द्वारा गैर कृषि उपयोग मे लिया जाना बताया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उक्त दोनो अपीलो पर उभयपक्ष अधिवक्तागणो द्वारा की गई बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम मुहाना के खाता संख्या 210 के ख0न0 164,165,189,191,192,,193,194 कुल रकबा 3.85 है0 जमाबंदी सम्वत 2072–75 मे ग्राम पंचायत राजाहेडा अलाटी के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का राजाहेडा तहसील नादौती द्वारा भूमि कृषि कार्य मे नही आकर गैर कृषि कार्य मे ली जा रही है । भूमि मे जगह लगह लगभग 40 ट्रोली पत्थर पडे हुए है एवं 4 जगहो पर कंकरीट ,बजरी सीमेन्ट मिक्सर प्लान्ट बने हुए है तथा दीगर व्यक्तियो द्वारा अतिक्रमण कर रखा जाना रिपोर्ट मे अंकित किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से पत्रांक 491 दिनांक 5.2.19 को बिन्दुवार जबाब चाहा गया है। जिसके जबाब मे ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा द्वारा दिनांक 6.2.23 को बिन्दुवार जबाब प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 1 के जबाब मे अंकित किया है कि उक्त भूमि संबंधी रिकार्ड पूर्व ग्राम पंचायत राजाहेडा द्वारा चार्ज मे नही दिया गया ना ही मेरे संज्ञान मे है। बिन्दु संख्या 2 के संबंध मे लिखा है कि संज्ञान के अभाव मे कोई कार्यवाही नही की गई , ग्राम पंचायत का कब्जा नही रहा है। बिन्दु संख्या 3 के जबाब मे अंकित किया है कि संज्ञान के कभी नीलामी नही की गई इससे राजस्व अर्जित नही हुआ है।। बिन्दु संख्या 4 के जबाब मे अंकित किया है कि मेरे कार्यकाल के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.19 को पेश किया गया है जो तहसीलदार के पत्रांक 316 दिनांक 5.2.19 से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की आदेशिका मे दिनांक 6.2.18 अंकित किया गया है। प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.2.19 नियत की गई। जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने का अंकन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दिनांक 15.2.19 को अंतिम निर्णय [illegible] आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। [illegible] से कम 30 दिवस की अवधि तामील की मानी गई है [illegible] इस प्रकार [illegible] न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानो की पालना नही किया जाना स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजाहेडा द्वारा अपने कर्तव्यों की पालना नही की गई है एवं एक राजसेवक होने के नाते उसके जो कर्तव्य थे उनके प्रति सजग एवं जागरूक रहकर कार्य नही किया गया है जो राजसेवक की अनुशासनहीनता को दर्शाता है। ग्राम विकास अधिकारी अपनी पंचायत का अधिकारी घोषित है उसे उस पंचायत मे निहित समस्त अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किये गये है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि का रक्षण नही किया गया है। ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यवाही अमल मे नही लाई गई ना ही उच्चाधिकारियो को अवगत कराया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के हितो को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है अतःदोनो अपीले स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती के मु0नं0 6/18 निर्णय दिनांक 15.2.19 को आपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner